संख्या-08/2017/04 (1)/41-2017-71 यो0/2016

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03जनवरी, 2017

विषय- श्री श्री 1008 राघवेन्द्र सरकार स्थल बरांव करछना इलाहाबाद के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने सम्बन्धी शुद्धि-पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-9093-11/6-1-1(775)/2016, दिनांक 03-01-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि श्री श्री 1008 राघवेन्द्र सरकार स्थल बरांव करछना इलाहाबाद के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश सं0 05/2017/1372/41-2016-71 यो0/2016, दिनांक 03.01.2017 द्वारा रू0 37,09,000.00 (रूपये सैंतीस लाख नौ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, किन्तु उक्त निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य में मात्र रू0 37,08,500.00 (रूपये सैंतीस लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) उपलब्ध है, जिस कारण उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 में शुद्धि-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री श्री 1008 राघवेन्द्र सरकार स्थल बरांव करछना इलाहाबाद के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु निर्गत शासनादेश सं0 05/2017/1372/41-2016-71 यो0/2016, दिनांक 03.01.2017 के प्रस्तर-2 में अंकित वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 37,09,000.00 (रूपये सैंतीस लाख नौ हजार मात्र) के स्थान पर वित्तीय स्वीकृति की धनरशि रू0 37,08,500.00 (रूपये सैंतीस लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) पढा जाय।

उक्त प्रस्तर-2 में अंकित संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-08/2017/04(2)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सी0यू0 इलाहाबाद ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलहाबाद ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in